04 9/25 आज यह पत्रावली पेश हुयी। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

—: निर्णय :—

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड़ के रहने वाले है तथा अप्रार्थी राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि अधिकारी है। आराजी खसरा नम्बर हाल 2015 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली—बहरोड़ राज. में स्थित है जिसमें पार्टी संख्या 1 रामसिंह सम्पूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। हाल की जमाबन्दी संलग्न है। आराजी खसरा नम्बर हाल 1202 रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली—बहरोड़ राज. में स्थित है जिसमें पार्टी सं. 2 माली 73/360 भाग की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। मुझ प्रथम पार्टी की अन्य आराजीयात द्वितीय पार्टी की उक्त भूमि के पास लगती है व द्वितीय पार्टी की अन्य आराजीयात प्रथम पार्टी की उक्त भूमि के पास लगती हुई है इसलिए हम दोनों पार्टीयों ने आपस में काश्त की सहुलियत से व उन्नत कृषि तथा अच्छी पैदावार करने के लिए आपस में जमीन के बदले जमीन देंकर इस प्रकार तबादला कर लिया है कि प्रथम पार्टी ने खसरा नम्बर 2015 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड़ में से 146/640 भाग यानि 0.146 हैक्टेयर भूमि तबादला में द्वितीय पार्टी को दी गई है तथा इसकी ऐवज में द्वितीय पार्टी ने खसरा नम्बर हाल 1202 रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड़ में अपना सम्पूर्ण 73/360 हिस्सा यानि 0.146 हैक्टेयर पार्टी संख्या 1 को दी गई है इसी अनुसार हम दोनों पक्षों ने उक्त आराजी का जमीन के बदले जमीन देकर तबादला कर लिया है और मौके पर दोनों पक्ष उक्त तबादला के आधार पर काबिज रहकर काश्त करना चालू कर दिया है। उक्त तबादला

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली—बहरोड़)

से दोनों पक्ष सहमत है तथा तबादला के आधार पर दोनों पक्ष मौके पर राजी खुशी काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन उक्त तबादला के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नही हुई है इसलिए हम दोनों पक्ष उक्त तबादला के आधार पर आपसी सहमति व रजामन्दी से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र दोनो पक्षों द्वारा आपसी सहमति से पेश किया जा रहा है। इसलिए तबादला के आधार पर आराजी मुतनाजा की खातेदारी दर्ज किया जाना न्याय संगत है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर हाल 2015 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड़ में प्रथम पार्टी संख्या 1 (रामसिह पुत्र सूरजा) के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बर हाल 2015 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास में से 146 / 640 भाग यानि 0. 146 हैक्टेयर भूमि की खातेदार पार्टी संख्या 2 (माली पत्नी बंशी) को घोषित किया जावे तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे एवं इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात में अंकन किया जाने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है। तथा इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर हाल 1202 रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड़ में द्वितीय पार्टी संख्या 2 (माली पत्नी बंशी) के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर पार्टी संख्या 2 माली पत्नी बंशी के सम्पूर्ण भाग 73 / 360 यानि 0.146 हैक्टेयर का खातेदार पार्टी संख्या 1 (रामसिंह पुत्र सूरजा) को घोषित किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात में अंकन करने का आदेश फरमाया जाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि पक्षकारान के तबादला के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तथा विद्ववान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारो द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपनी सहमति से अपनी आराजी का जमीन के बदले जमीन का आपस में तबादला किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी के दोनो पक्ष खातेदार काश्तकार है। जिसमें समान आराजी का तबादला किया जा रहा है। जिससे किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही है। वादीगण का प्रार्थना पत्र पूर्णतया सिद्व पाया जाता है।

–आदेश :–

प्रार्थी का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर हाल 1202 रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड़ में द्वितीय पार्टी संख्या 2 (माली पत्नी बंशी) के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर पार्टी संख्या 2 माली पत्नी बंशी के सम्पूर्ण भाग 73 / 360 यानि 0.146 हैक्टेयर का खातेदार पार्टी संख्या 1 रामसिंह पुत्र सूरजा को व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। आराजी खसरा नम्बर हाल 2015 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास तहसील बहरोड़ में प्रथम पार्टी संख्या 1 रामसिंह पुत्र सूरजा के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त खसरा नम्बर हाल 2015 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरबास में से 146/640 भाग यानि 0.146 हैक्टेयर भूमि की खातेदार पार्टी संख्या 2 माली पत्नी बंशी को घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। इसी कदर हाल राजस्व रिकोर्ड को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बनाम अहकाम जारी किया जावे।

आज दिनांक 04/9/2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)